



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान

CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE)

ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म.प्र.) 466-445

TRACTOR NAGAR, P.O., BUDNI (M.P.) 466-445

संख्या: 12-19/2016-ईस्टेट

दिनांक: 22.11.2016

निविदा सूचना

संस्थान के मुख्य कार्यालय में विभिन्न कार्य हेतु जैसे-कार्यालय में भृत्य का कार्य, कारपेन्टरी, औषधालय एवं कालोनी की साफ-सफाई कार्यालय द्वारा बताये गये कार्य हेतु 6 अकुशल श्रमिकों को 6 माह के लिए ठेके पर रखने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्तें निम्नानुसार है।

1. श्रमिकों को कम से कम आठवीं कक्षा तक पढ़ा होना चाहिए।
2. श्रमिक की उम्र लगभग 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. श्रमिक शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए।
4. ठेके की अवधि समाप्ति के बाद श्रमिक के या ठेकेदार की ओर से किसी भी प्रकार की नियुक्ति का दावा पाने की अधिकार प्राप्त नहीं होना।
5. इयूटी करते समय यदि कोई अप्रिय घटना होती है/या शारीरिक अथवा मानसिक रूप से किसी को क्षति पहुंचती है तो सुरक्षा श्रमिक अथवा ठेकेदार को क्षति पूर्ति के लिए यह संस्थान/संस्थान को कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा।
6. ठेकेदार द्वारा लगाए गए सभी श्रमिकों को ही लगाया जायेगा जिनका चरित्र ठीक हो और अपराधी प्रकृति न हो और साथ ही यह प्रमाणित करना होगा कि लगाए जाने वाले श्रमिकों के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन नहीं हो।
7. यदि आवश्यक हुआ तो कार्य की गुणवत्ता के आधार पर निदेशक ठेके की अवधि को कम वा अधिक भी कर सकते हैं।
8. ठेकेदार अथवा उसके श्रमिक की इयूटी के दौरान शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार का वहन करनी होगी।
9. यदि ठेकेदार का श्रमिक इयूटी के दौरान अनुपस्थित पाया गया या सोते हुए एवं लापरवाही करता पाया जाता है तो उस दिन का भुगतान दैनिक दिहाड़ी की दर पर नहीं दिया जायेगा।
10. ठेकेदार के श्रमिक की इयूटी के दौरान चोरी की वारदात होती है तो उसकी भरपाई भी ठेकेदार को वहन करनी होगी और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगी।
11. ठेकेदार द्वारा लगाए गए सभी श्रमिकों का पूर्ण विवरण बायोडाटा ठेके से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।
12. किसी भी टेण्डर की स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार संस्थान के निदेशक को होगा।

जो भी व्यक्ति कार्य का ठेका लेने से इच्छुक हो वे अपना आवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 07.12.2018 को दोपहर 03.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकता है, बाद में प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(आर.के. राम)

वरिष्ठ कृषि अभियन्ता/का.अ.  
कृते निदेशक

वितरण:-

1. समस्त सूचना पट्ट : प्रशिक्षण/परीक्षण/कार्यालय/मेनगेट/कॉलोनी गेट।

प्रतिलिपि:-

वरिष्ठ उपकरण अभियन्ता : संस्थान की वेब साइट पर प्रकाशित करने हेतु।

कृते निदेशक